न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 142/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना जोबनेर

बनाम

1. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी रलावता, किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर। (टैंकर चालक)
2. श्री हरफूल मीणा पुत्र श्री मंगलाराम मीणा निवासी प्रतापपुरा, निवाई जिला टोंक हाल सैल्समेन अनिल फिलिंग स्टेशन रेनवाल रोड, जोबनेर।

4. निर्णय दिनांक : 02-12-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना जोबनेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 13.06.2001 को अनिल फिलिंग स्टेशन रेनवाल रोड, जोबनेर पर एक टैंकर नं. आरजे–07–जी–2289 जिसमें नीले रंग का केरोसीन तेल भरा हुआ था, को पम्प के डीजल टैंक में उक्त केरोसीन को डालते हुये पाया गया। जांच कार्यवाही के दौरान टैंकर व उसमें बचे हुये 2000 हजार लीटर नीले रंग का केरोसीन को जब्त किया गया। साथ ही पम्प पर टैंक को सील्ड कर दिया गया जिसमें लगभग 10 हजार लीटर नीला केरोसीन उक्त टैंक द्वारा मिला जा चुका था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त केरोसीन का बिना किसी लाईसेंस, परमिशन के भण्डारण व परिवहन किया जा रहा था व डीजल में केरोसीन मिलाया जा रहा था। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 08.04.2002 को श्री प्रकाश चन्द्र ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 04.09.2003 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाड़ी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 17.03.2004 को अनिल फिलिंग स्टेशन की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि पुलिस द्वारा टैंक के डीजल का सेम्पल लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट में केरोसीन की मिलावट होना नहीं पाया गया। प्रकरण में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 02.05.2009 में अभियुक्त अजीतसिंह एवं हरफूल का आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर बरी कर दिया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 02-12-22 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 13.06.2001 को जब्त केरोसीन/डीजल को क्रय करने संबंधी दस्तावेज अप्रार्थी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। पुलिस चार्जशीट के अनुसार टैंकर चालक द्वारा टैंकर आईओसी सीतापुरा से भरकर सरदारशहर की उचित मूल्य की दुकानों पर पंहुचाया जाना था, जिसका मौके पर जोबनेर पाया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। उक्त केरोसीन/डीजल की लेबोरेट्री में पुनः जांच करने पर कतिपय सेम्पल केरोसीन व कतिपय सेम्पल डीजल के पाये गये हैं। अप्रार्थी मालिक पेट्रोल पम्प द्वारा 2001 की कार्यवाही की अतिविलम्ब से पुनः जांच हेतु वर्ष 2004 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना संदेहास्पद है तथा भूमिगत टैंक में उपलब्ध डीजल के क्रय–विक्रय से संबंधित कोई दस्तावेज आदिनांक तक पेश नहीं करना संदेहास्पद है।

ऐसी स्थिति में दिनांक 13.06.2001 की कार्यवाही के दौरान जब्त केरोसीन व संलिप्त टैंकर ट्रक नं. आरजे–07–जी–2289 को राजसात किया जाता है। साथ ही मौके पर पेट्रोल पम्प के भूमिगत टैंक में जब्तशुदा डीजल जिसे मौके पर सील्ड किया गया, को भी राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेशानुसार जब्त सामग्री का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)